परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतौली से कफूडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारुप–1.6

दिनांक 12/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सतखोल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	डीगरसिंह	[illegible]
2.	जासासिंह	[illegible]
3.	हरीसिंह	[illegible]
4.	जीवन चन्द कांपल	[illegible]
5	प्रकाशचन्द	[illegible]
6	नन्द लाल	नन्द लाल
7.	कमलेश नयाल	[illegible]
8.	नन्दकिशोर	[illegible]
9.	खीमानन्द जोशी	[illegible]
10	महेन्द्र सिंह बिष्ट	[illegible]
11.	दीवानराम	दीवानराम
12.	पूरनराम	पूरनराम
13.	कृष्णानन्द	[illegible]
14	प्रकाशचन्द	[illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत सतखोल
वि०ख० रामगढ़ (नैनीताल)

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतौली से कफूडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारुप–1.6

दिनांक 12/01/2015.....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सतौली.........

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गोविन्द राम	[illegible]
2.	श्री प्रेमराम	प्रेमराम
3.	श्रीमती पार्वती देवी	नि० अंगूठा
4-	हीरासिंह	[illegible]
5	रवीन्द्रराम	[illegible]
6	सुरेशचन्द्र	सुरेश चन्द्र
7	रेवाधर	[illegible]
8	रवीन्द्र	[illegible]
9	अम्बादत्त	अम्बादत्त
10	प्रेमा देवी	प्रेमा देवी
11	नन्दकिशोर	[illegible]
12	कैलाश चन्द्र	कैलाश चन्द्र
13	विपिन चन्द्र	[illegible]
14	भुवन चन्द्र	भुवन चन्द्र
15	गोपाल दत्त	गोपालदत्त
16	भास्कर चन्द्र	भास्कर चन्द्र
17	देवीदत्त	देवीदत्त
18	ललित मोहन लोहनी	L.M.LOHANI
19	रामदत्त	रामदत्त

ह0 /–
ग्राम प्रधान

[illegible]
प्रधान
ग्राम पंचायत सतौली
वि०ख० रामगढ़ (नैनीताल)

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में एस़0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतौली से कफूडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारुप–1.6

दिनांक ..17/01/2015....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम ....कफूड़ा.........

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	गोपाल राम	[illegible]
2.	विजय कुमार	VIJAY KUMAR
3.	कमल राम	कमलराम
4.	श्याम लाल	श्यामलाल
5.	जानकी देवी	जानकी देवी
6.	गीता आर्या	गीता आर्या
7.	ललिता देवी	ललिता देवी
8.	भागवती देवी	भागवती देवी
9.	डुंगर सिंह नेगी	Dunger Singh
10.	ममता नेगी	Mamta Negi
11.	रानी नेगी	रानी नेगी
12.	रेनू नेगी	रेनू नेगी
13.	खीम सिंह नेगी	[illegible]
14.	गोविन्दी नेगी	गोविन्दी नेगी
15.	सुन्दर नेगी	[illegible]
16.	शीला नेगी	[illegible]
17.	किशन सिंह नेगी	[illegible]
18.	तुलसी नेगी	तुलसी नेगी
19.	कमला नेगी	कमला नेगी
20.	कविता नेगी	कविता नेगी
21.	प्रेमराम	प्रेमराम
22.	मोहन राम	मोहन राम
23.	कुन्दन लाल	कुन्दन लाल
24.	[illegible]	[illegible]
25.		

ह0 / –
ग्राम प्रधान

[illegible]

प्रधान
ग्राम पंचायत- कफूड़ा
वि0ख0- रामगढ़ (

परियोजना का नाम:– जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतौली से कफूडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारुप–1.6

दिनांक 12/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम चापड़

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	हेमवतीनन्दन शर्मा	[signature]
2-	गोविन्द सिंह नेगी	[signature]
3-	चन्दन सिंह नेगी	[signature]
4	पूरन सिंह नेगी	[signature]
5-	नरेन्द्र सिंह नेगी	[signature]
6	हरेन्द्र सिंह नेगी	[signature]
7	पूरन सिंह नेगी	[signature]

ह0/– Shobha
ग्राम प्रधान
शोभा कपिल
ग्रामप्रधान - चापड़

Shobha
प्रधान
ग्राम पंचायत–चापड़
वि०खण्ड– रामगढ़
जिला– नैनीताल

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतौली से कफूडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारुप–1.6

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –––––––

तहसील व जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत उक्त परियोजना के निर्माण हेतु **(शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.6775 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.3105 हे0 वन पंचायत भूमि)** अर्थात **कुल 2.988 हे0** वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम **सतखोल, सतोली, कफूडा एवं चापड.** द्वारा दिनांक 12/01/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सतखोल, सतोली, कफूडा एवं चापड.** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत- कफूड़ा कुमाटी
वि0ख0- रामगढ़ (नैनीताल)

प्रधान
ग्राम पंचायत' सतखोल
वि०ख० रामगढ़ (नैनीताल)

Shobha
शोभा कपिल
ग्रामप्रधान-चापड़

प्रधान
ग्राम पंचायत' सतौली
वि०ख० रामगढ़ (नैनीताल)

Shobha
प्रधान
ग्राम पंचायत-चापड़
वि०खण्ड- रामगढ़
जिला- नैनीताल

प्रपत्र 23.2

परियोजना का नामः– एस० सी० एस० पी० के अन्तर्गत सतौली कफड़ा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कोश्यां कुटौली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कोश्यांकुटौली

उपखण्ड कोश्यांकुटौली परिक्षेत्र के अन्तर्गत सतौली – कफड़ा मोटर मार्ग का निर्माण। शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.6775 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि .3105 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 2.988 हे0 वन भूमि के नि०ख० लो०नि०वि० नैनी० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कोश्यांकुटौली) की दिनांक 13-1-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री चन्द्रसिंह मर्तोलिया उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

1– श्री चन्द्रसिंह मर्तोलिया उपजिलाधिकारी कोश्यांकुटौली अध्यक्ष

2– श्री तिलक तिवारी, उप-प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल उपसदस्य

3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] सदस्य / सचिव

4– श्री सती प्रसाद भण्डारी बी0डी0सी0 क्षेत्र कफड़ा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

एस० सी० एस० पी० के अन्तर्गत सतौली - कफड़ा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00 कि०मी०)

परियोजना हेतु 2.988 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा

सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यकता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बधी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत ख्रौली - कफुड़ा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.988 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

13.1.15

उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कोश्यां कुटौली
जनपद नैनीताल।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कोश्यां कुटौली
जनपद नैनीताल।

प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector - Nainital

Dated 15/01/2015

No---

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No
11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for
having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other
Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land
proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF
issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.988.. hectares of forest land
proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Nainital (name of user
agency) for **Construction of** Stouli - Kaphura motor Road................ (purpose for
diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of Satkhal, Chatauli, Kafura and Ch...villages
in Koshyan tehsil.
- Kutauli

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out
for the entire 2.988...... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of
all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel
Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....to...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section
3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural
communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप—30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT - NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Nainital** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S., deputy commissioner, Nainital on dated .... at time ....at .... in which application claiming rights in ....Koshyan Kutoli. / area measuring 2.988 hect for the **Construction of** Gatoli - Kaphura mtr.......... forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Koshyan Kutoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital

Dated: 15/01/015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
जिलाधिकारी
District Level Committe
नैनीताल